

प्रेस नोट दिनांक-01.10.2019

(1). आज दिनांक 01.10.2019 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री मनोज कुमार झा द्वारा आगामी विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुये थाना मारकुण्डी का भ्रमण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री रविप्रकाश एवं थाना मारकुण्डी में नियुक्त समस्त उपनिरीक्षकों के साथ गोष्ठी कर अवैध शराब, अवैध शस्त्र की बरामदगी तथा वाहनों की प्रतिदिन चैकिंग कर प्रभावी कार्यावाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(2). आज दिनांक 01.10.2019 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री मनोज कुमार झा द्वारा आगामी विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुये थाना मानिकपुर का भ्रमण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री के.के. मिश्रा एवं थाना मानिकपुर में नियुक्त समस्त उपनिरीक्षकों के साथ गोष्ठी कर अवैध शराब, अवैध शस्त्र की बरामदगी तथा वाहनों की प्रतिदिन चैकिंग कर प्रभावी कार्यावाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(3). आज दिनांक 01.10.2019 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री बलवन्त चौधरी द्वारा आगामी विधानसभा उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुये थाना रैपुरा अंतर्गत पोलिंग बूथों का भ्रमण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक रैपुरा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र मौर्या थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अहिरी पेट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त भालेन्द्र कुमार पुत्र रामधनी निवासी सुरौंधा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 179/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री गुलाबचन्द्र मौर्या थाना मऊ
2. आरक्षी रितेश पाण्डेय

(ii). वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा मारकुण्डी तिराहा कस्बा मानिकपुर से अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र प्रभूदयाल निवासी बालमीकि नगर

कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 138/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री अशोक कुमार निगम थाना मानिकपुर
2. आरक्षी अभिषेक कुमार

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 981/18 धारा 419/420/467/468/471/34 भादवि0 के वारण्टी अजय कुमार तिवारी पुत्र प्रेमनारायण निवासी अजहाई थाना राजापुर जनपद चित्रकूट तथा मु0सं0 133/10 धारा 323/504 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त कड़बड़ निषाद पुत्र नत्थूलाल निवासी केवटरा थाना व कस्बा राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री शेषनाथ यादव थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 705/19 धारा 493/420 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त रावेन्द्र सिंह पुत्र मोहनलाल निवासी टिकरी गोबरा जनपद कौशाम्बी को तथा मु0सं0 63/15 धारा 138 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त रामअवतार पुत्र भूरा निवासी बौनापुरवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री राधाकृष्ण तिवारी थाना मऊ तथा उनके हमराही द्वारा मु0सं0 195/13 धारा 379/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त महंगू पुत्र भगवानदीन केवट निवासी वियावल थाना मऊ चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।